परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्रांक– 2742 ^ एमटी/19–147एमटी/1991–। दिनांक 3 सितम्बर, 2019

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।
2–समस्त सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।
3– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो),
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः–परिवहन निगम की बसों एवं सम्बन्धित प्रणाली के रख–रखाव के सम्बन्ध में।

परिवहन निगम में कतिपय कार्यशालाओं के संचालन सुचारू रूप से न किये जाने के कारण बसों का अपेक्षित रख–रखाव नहीं हो पा रहा है। बसों के रख–रखाव एवं इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय को नियंत्रित करने के उद्धेश्य से बसों एवं कार्यशाला में जो प्रणाली लगायी गयी है, उनके कियान्वयन एवं रख–रखाव की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

परिवहन निगम की बसों एवं सम्बन्धित प्रणाली के रख–रखाव के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. यह सुनिश्चित किया जाये कि वाहनों के समस्त प्रिवेन्टिव मेन्टीनेंश निर्धारित समय से कराये जाये एवं शिड्यूल के अनुसार समस्त कार्य हो।
2. कार्यशाला भण्डार में लगे इन्वेन्ट्री साफ्टवेयर के अनुसार ही स्टोर का समस्त कार्य कराया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि स्पेयर पार्टर्स का स्टाक साफ्टवेयर के डाटा से मिलान करता हो।
3. डीजल पम्प व बसों में लगे आटोमेशन सिस्टम को प्रभावी किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि पम्प नीड मोड में ही संचालित हों किसी भी बस को मास्टर कार्ड अथवा बस नम्बर की मैनुअल इन्ट्री के द्वारा डीजल न दिया जाये। दिनांक– 01 जनवरी, 2020 के पश्चात् किसी वाहन को बिना आरएफआईडी रिंग के डीजल दिये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. आटोमेशन सिस्टम मे लगे उपकरणों एवं आरएफआईडी रिंग की सुरक्षा एवं सफाई सुनिश्चित की जाये तथा कम्प्यूटर सिस्टम को साफ और अच्छे सीलन रहित कमरें में स्थापित किया जाये। कमरे की सफाई/पुताई अच्छी रहे एवं कमरा ठंडा रहे नही तो सिस्टम काम नहीं करेगा। अभियांन के दौरान सभी बसों में आरएफआईडी रिंग कार्यरत हों जाये। यदि सिस्टम में कोई छेड़खानी होती है तो जॉच के उपरान्त ही बस में डीजल दिया जाये एवं जिम्मेदार के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
5. यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी बसों मे स्पीड लिमिट डिवाइस कियाशील हो ।
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी लम्बी दूरी की बसों को निर्धारित जॉच के उपरान्त ही मार्ग पर भेजा जाये, जिस रजिस्टर में 13 बिन्दु जॉच का रिकार्ड रखा जाता है, उसे हर समय अपडेट रखें जिससे कि मॉगे जाने पर तत्काल रजिस्टर की फोटो व्हाटसएप के माध्यम से प्राप्त करायी जा सके।
7. सर्वे के दौरान बसों मे जो कमियॉ पायी गयी है उन्हे लांगरूट की बसों में 31 अगस्त, 2019 तक पूरा किया जाना था तथा लांगरूट की सभी बसों के 31 बिन्दु सर्वे की फोटो प्रति मुख्यालय टीएमसी अनुभाग को 03 सितम्बर, 2019 तक प्राप्त करा दी जाये।
8. समस्त बसों मे सर्वे के दौरान बसों में जो कमियॉ पायी गयी है 30 सितम्बर, 2019 तक अवश्य पूरा कर लिया जाये।
9. दिनांक–07.09.2019 तक सभी बसों की संयुक्त फिटनेस जॉच, एआरटीओ/आरआई के साथ पूर्ण होनी है। दिनांक–09.09.2019 तक पूरी रिपोर्ट मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रावि0) के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
10. सभी बसों की सफाई–धुलाई पर विशेष ध्यान दिया जाये। डिपो कार्यशाला से आउटसेडिंग से पहले आटोमेटिक बस वाशिंग प्लांट से बसों की सफाई–धुलाई होनी चाहिए।

सभी अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त बिन्दुओं पर दैनिक समीक्षा करेंगे तथा निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा विचलन की दशा में सम्बन्धित आधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष महोदय निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. निजी सचिव/प्रबन्ध निदेशक/ अपर प्रबन्ध निदेशक निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रावि0/संचा0), निगम मुख्यालय लखनऊ।
4. समस्त, नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(डा0 राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com